Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **हनुमानगढ़ में पटवारी 2 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *09 मार्च, गुरूवार*। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर हनुमानगढ़ इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये श्रीमती कौशल्या पटवारी पटवार हल्का लखूवाली अतिरिक्त चार्ज जोरावरपुरा, ग्राम पंचायत मैनावाली, तहसील एवं जिला हनुमानगढ़ को परिवादी से **2 हजार रूपये** की रिश्वत लेते हुये गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की हनुमानगढ़ इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि भूमि का नामान्तकरण खोलने की एवज में श्रीमती कौशल्या पटवारी पटवार हल्का लखूवाली अतिरिक्त चार्ज जोरावरपुरा, ग्राम पंचायत मैनावाली, तहसील एवं जिला हनुमानगढ़ द्वारा **2 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी हनुमानगढ़ इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री रविन्द्र सिंह शेखावत** द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये श्रीमती कौशल्या पत्नी श्री संदीप कुमार जाट निवासी पोहड़का, तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ़ हाल पटवारी पटवार हल्का लखूवाली अतिरिक्त चार्ज जोरावरपुरा, ग्राम पंचायत मैनावाली, तहसील एवं जिला हनुमानगढ़ को परिवादी से **2 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते हुये गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के महानिरीक्षक श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपिया से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।